(127)

महत्वपूर्ण

संख्या-23/2017/1981/पांच-1-2016-5(36)/2017

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक: 03 अक्टूबर, 2017**

विषयः प्रदेश में औषधियों एवं उपकरणों व स्वास्थ्य संबंधी अन्य सेवाओं के क्रय हेतु एक नवीन निगम-"उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन" स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान में औषधियों एवं कतिपय उपकरणों के दर अनुबन्ध तथा शेष उपकरणों के मात्रा अनुबन्ध केन्द्रीयकृत रूप से केन्द्रीय औषधि भण्डार (सी0एम0एस0डी0) द्वारा किये जाते हैं। दर अनुबन्धित औषधियों एवं उपकरणों के क्रय आदेश व भुगतान की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा की जाती है। मात्रा अनुबन्धित उपकरणों के क्रय आदेश सी0एम0एस0डी0 द्वारा सीधे जारी किये जाते हैं। औषधियों एवं उपकरणों के क्रय करने हेतु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अत्यधिक समय लगता है जिसके कारण निःशुल्क औषधियॉ उपलब्ध कराने एवं चिकित्सालयों को उपकरणों की आपूर्ति किये जाने की शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जन-सामान्य को समय से प्राप्त नहीं हो पाता है।

2. औषधि एवं उपकरणों के क्रय के संबंध में कतिपय अन्य राज्यों यथा-तमिलनाडु तथा राजस्थान में प्रचलित व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया। इन दोनों राज्यों में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से औषधियों व उपकरणों के क्रय करने हेतु निगम बनाए गए हैं। इन निगमों द्वारा अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर औषधियों एवं उपकरणों व स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सेवाओं का क्रय किया जा रहा है। देश के कई अन्य राज्यों यथा-बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा आदि में भी उपर्युक्त प्रयोजन हेतु निगम स्थापित किए गए हैं।

3. उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में औषधियों एवं उपकरणों व स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सेवाओं के क्रय हेतु - **"उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन"** स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिसकी संरचना निम्नवत होगी :-

(1) उपर्युक्त निगम का नाम **"उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज़ कार्पोरेशन"** होगा।

(2) उपर्युक्त निगम कम्पनीज़ एक्ट, 2013 के अन्तर्गत गठित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व अन्य विभागों हेतु औषधियों, उपकरणों, परामर्शीय एवं गैर परामर्शीय सेवाएं उपार्जित किया जाना तथा सार्वजनिक-निजी सहभागिता के अन्तर्गत अनुबन्धों को उपार्जित किया जाना व अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का क्रय किया जाना सम्मिलित होगा।

(4) औषधियों के भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निगम के अन्तर्गत औषधि भण्डारण केन्द्रों की स्थापना एवं लॉजिस्टिक की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(5) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी उपार्जन एवं वितरण प्रणाली लागू करना।

(6) निगम शत्-प्रतिशत् उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा तथा रू0 20.00 करोड़ की अंशपूंजी से शुरू किया जाएगा। यह अंशपूंजी 10 रुपये मूल्य के 2,00,00,000 (दो करोड़) शेयर में विभाजित होगी। कम्पनीज़ एक्ट, 2013 के अन्तर्गत ग्यारह प्रमोटर/कम्पनी के निदेशक रू0 10 मूल्य के एक-एक शेयर धारित करेंगे तथा शेष शेयर "प्रदेश सरकार द्वारा श्री राज्यपाल" के नाम होंगे। **(संलग्नक-1)**

(7) उपर्युक्त 11 (ग्यारह) अंशधारक कार्पोरेशन के प्रथम "निदेशक मण्डल" भी होंगे। ये सभी निदेशक शासन द्वारा पदनाम के आधार पर नामित किए जायेंगे।

(8) निगम का मुख्यालय जनपद लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।

(9) निगम की स्थापना के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में स्थापित केन्द्रीय औषधि भण्डार (सी0एम0एस0डी0) को समाप्त कर दिया जाएगा।

4. **उक्त निगम का कार्य मुख्यतः निम्नवत होगा -**

(1) निगम द्वारा प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ) में मुख्य रूप से निम्न कार्यों को संपादित किया जाएगा :-

I. समस्त आवश्यक औषधियों/उपकरणों/सेवाओं का क्रय दर अनुबन्ध/मात्रा अनुबन्ध ई-टेण्डर के माध्यम से निर्धारित उपार्जन प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाना।

II. आपूर्तिकर्ताओं के चयन, करार अनुबन्ध तथा व्यवसाय का वर्गीकरण एवं आवंटन किया जाना।

III. प्रदेश के जिलों के द्वारा कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से भेजे गये मांग के अनुसार मांग का एकत्रीकरण करते हुए केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत औषधियों, उपभोग्य की वस्तुओं तथा उपकरणों का निर्धारित उपार्जन प्रणाली के माध्यम से क्रय करना।

IV. जिला औषधि भण्डार द्वारा क्रय किए जाने वाले औषधियों, उपभोग्य की वस्तुएं तथा उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं जिलों के औषधि भण्डार गृह में उपलब्धता सुनिश्चित करना।

V. क्रय की गयी समस्त औषधियों, उपभोग्य की वस्तुओं तथा उपकरणों का भुगतान केन्द्रीयकृत रूप से सुनिश्चित करना।

VI. समस्त क्रय की गयी औषधियों, उपभोग्य की वस्तुओं तथा उपकरणों का लेखा-जोखा रखना एवं मांगपत्र, क्रय आदेश एवं आपूर्तियों का विवरण तैयार करना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा वार्षिक मांग पत्र एवं बजट का आंकलन करना तथा वार्षिक आडिट की व्यवस्था करना।

VII. बजट के सापेक्ष औषधियों, उपभोग्य की वस्तुओं तथा उपकरणों के मांग पत्र का मिलान करना एवं अन्तर पाये जाने पर विश्लेषण करना।

VIII. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) परियोजनाओं/ सेवाओं हेतु निजी व अन्य सेवा-प्रदाताओं का चयन कराने के लिए तकनीकी सलाहकार के दायित्वों का निवर्हन करना।

IX. राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार औषधि, उपकरणों एवं अन्य वस्तुएं व सेवाओं का क्रय करना।

X. जन-सामान्य को न्यूनतम दर पर औषधियॉ एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना।

XI. शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य दायित्वों का निर्वहन करना।

(2) प्रथम चरण में उल्लिखित दायित्वों के अतिरिक्त द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ) में निगम द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाएगाः-

I. प्रथम चरण की जिम्मेदारियों के अतिरिक्त जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार भण्डार गृह की स्थापना किया जाना तथा वर्तमान में उपलब्ध औषधि भण्डार गृह का रख-रखाव करना एवं लॉजिस्टिक प्रबन्धन सुनिश्चित करना।

II. 18 मण्डलीय औषधि भण्डार गृहों से औषधि एवं अन्य सामग्री का वितरण चिकित्सालयों में स्थित समस्त औषधि केन्द्रों पर सुनिश्चित करना।

5. **<u>निगम का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत होगा :-</u>**

उपर्युक्त निगम की स्थापना, उसके संगठनात्मक ढांचे एवं मानव संसाधनों की स्थिति व भर्ती का स्रोत निम्नानुसार होगाः-

1. निगम का संगठनात्मक ढांचा **संलग्नक-2** के अनुसार होगा।
2. निगम की स्थापना में संगठनात्मक ढांचे के अनुसार मानव संसाधनों की स्थिति व भर्ती स्रोत **संलग्नक-3** के अनुसार होंगे।
3. प्रबन्ध निदेशक के कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियों के दृष्टिगत आई0ए0एस0 संवर्ग (सचिव/विशेष सचिव स्तर) के अधिकारी प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किये जायेंगे।
4. निगम में मानव संसाधनों की सेवाओं से संबंधित सेवा-शर्तों व अधिष्ठान संबंधी विषयों के निर्धारण हेतु सेवा नियमावली पृथक से तैयार कर प्रख्यापित की जायेगी, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा किया जाएगा।
5. निगम के पदों पर विशेषज्ञता, योग्यता एवं अनुभव के अनुसार प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
6. निगम एवं मण्डलीय औषधि भण्डार गृहों हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। इस संख्या को आवश्यकतानुसार निदेशक मण्डल के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. निगम एवं मण्डलीय औषधि भण्डार गृहों हेतु कार्यालय सहायक, प्रोग्रामर एवं कम्पयूटर आपरेटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जायेंगे। आवश्यकतानुसार इनकी संख्या निदेशक मण्डल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) के अनुमोदन से बढ़ायी जा सकेगी।
8. मानव संसाधनों की भर्ती निदेशक मण्डल की निगरानी में किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक अधिकृत होंगे।
9. इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण के कार्य प्रारम्भ करने के समय भण्डार गृह के संचालन के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन की यदि आवश्यकता होगी, जिसका निर्धारण तत्समय की स्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त् किया जाएगा।

6. **<u>औषधियों, उपकरणों एवं सेवायें इत्यादि की क्रय प्रक्रिया निम्नवत होगी -</u>**

निगम द्वारा औषधियों, उपकरणों एवं सेवायें इत्यादि के क्रय से संबंधित समस्त गतिविधियों के निष्पादन की प्रक्रिया निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की जाएगी।

7. **<u>औषधियों एवं उपकरणों के क्रय हेतु बजट की व्यवस्था निम्नवत होगी -</u>**

(1) **राज्य बजट -** चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत औषधियों एवं उपकरणों के क्रय के लिए निर्धारित समस्त बजट के व्यय की व्यवस्था निम्नवत् होगी -

I. औषधि एवं उपभोग्य की वस्तुओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित कुल बजट का 80 प्रतिशत उपर्युक्त निगम को तथा 20 प्रतिशत जिलों द्वारा स्थानीय क्रय किए जाने हेतु जारी किया जायेगा। जिला स्तर पर स्थानीय क्रय की व्यवस्था समयवद्ध तरीके से धीरे-धीरे 20 प्रतिशत से कम कर न्यूनतम स्तर पर लाई जायेगी।

II. निगम द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/ महानिदेशक, परिवार कल्याण से प्राप्त मांगपत्र एवं बजट के अनुसार उपकरणों का क्रय किया जाएगा। उपकरणों हेतु प्राप्त बजट जिलों में नहीं भेजा जायेगा।

III. जिला स्तर पर विभाग द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा रू0 5.00 लाख मूल्य तक के उपकरण विशेष परिस्थितियों में जिला स्वास्थ्य समिति की निधियों से नियमानुसार खरीदे जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों का निर्धारण विभाग द्वारा समय- समय पर किया जाएगा।

IV. निगम को कुल क्रय किए जाने वाले औषधियों, उपकरणों एवं सेवाओं के उपार्जन मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा निदेशक मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कुल बजट के 25 प्रतिशत मूल्य का सेवा शुल्क अग्रिम के रूप में उपर्युक्त निगम को देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बजट की व्यवस्था-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत औषधियों एवं उपकरणों हेतु प्राप्त समस्त बजट उपर्युक्त निगम को प्राप्त कराया जाएगा तथा इस बजट के उपभोग की व्यवस्था भी उपर्युक्तानुसार ही होगी।

(3) इसके अतिरिक्त शासन द्वारा अन्य विभागों के औषधि, उपकरण व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के क्रय हेतु भी बजट उक्त निगम को दिए जा सकेंगे।

8. **निगम के संचालन हेतु बजट व्यवस्था निम्नवत होगी -**

(1) उपर्युक्त निगम को स्थापित किए जाने एवं इसकी गतिविधियों को एक मुख्यालय एवं 18 मण्डलीय औषधि भण्डार गृह के माध्यम से संचालित करने के लिए प्रारम्भ में एकमुश्त धनराशि की आवश्यकता होगी। निगम के कार्यालय हेतु आवर्तक व्यय **रू0 17,34,95,000** प्रति वर्ष **(संलग्नक-3)** तथा अनावर्तक व्यय **रू0 3,36,57,500 (संलग्नक-4)** होगा। निगम को उपलब्ध कराई जाने वाली **रु0 20 करोड़** की अंशपूंजी से अनावर्तक व्यय एवं कार्यशील पूँजी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। निगम के स्थापित किए जाने की तात्कालिकता के दृष्टिगत उपर्युक्त पूँजी की धनराशि वर्तमान में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के औषधि/उपकरण मद से ऋण के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुपूरक आय-व्ययक में यू0पी0एम0एस0सी0 के लिए नई मॉग का प्रस्ताव सृजित कर धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(2) निगम पूर्णरूप से वित्तीय आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर कार्य करेगा। निगम की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रस्तर-8.1.IV में वर्णित व्यवस्था से प्राप्त धनराशि तथा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय से की जाएगी।

9- अतः वर्णित स्थिति में प्रदेश में औषधियों एवं उपकरणों व स्वास्थ्य संबंधी अन्य सेवाओं के क्रय हेतु एक नवीन निगम-"उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन" स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णयों से अवगत होते हुए कृपया इस सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
9- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
10- परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
14- निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
15- निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
16- निदेशक, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
17- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
18- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
8- निजी सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अवधेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक–1

यू0पी0एम0एस0सी0 का निदेशक मण्डल

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन	निदेशक
3	विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन	निदेशक
4	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0	निदेशक
5	विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	निदेशक
6	विशेष सचिव, औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन	निदेशक
7	प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0	निदेशक/सदस्य सचिव
8	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0	निदेशक
9	महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0	निदेशक
10	औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0	निदेशक
11	वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0	निदेशक

संलग्नक – 2

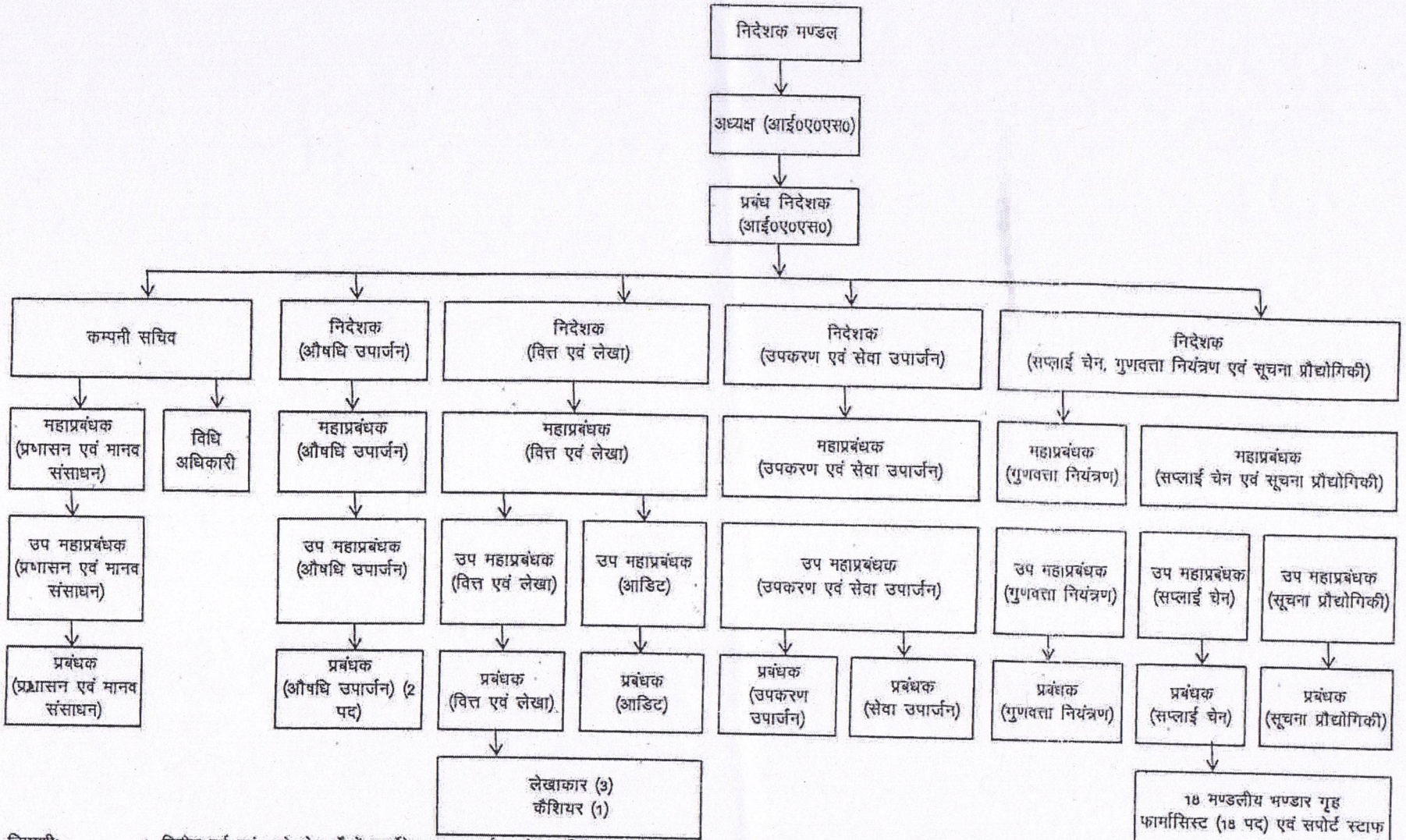

टिप्पणी:

1. द्वितीय वर्ष एवं आगे के वर्षों में कार्पोरेशन का कार्य बढ़ने पर निदेशक मण्डल अतिरिक्त विशेषज्ञ पदों का सृजन कर सकता है।
2. निदेशक एवं फार्मासिस्ट स्तर के पद प्रतिनियुक्ति पर विभाग एवं अन्य सरकारी सेवाओं से भरे जायेंगे।
3. महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक एवं प्रबंधक स्तर के पद विशेष योग्यता के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर भरे जायेंगे।
4. कार्यालय सहायक, लेखाकार, कैशियर एवं प्रोग्रामर के पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर भरे जायेंगे।
5. कम्प्यूटर आपरेटर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लिए जायेंगे।
6. चतुर्थ श्रेणी, सफाई कर्मी एवं सुरक्षा सेवा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लिए जायेंगे।
7. पदों की योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण निदेशक मण्डल द्वारा किया जायेगा।

संलग्नक–3

यू0पी0एम0एस0सी0 के मानव संसाधन एवं संचालन व्यय का अनुमान

क0	पदनाम	मानव ससांधन एवं प्रशासन	औषधि उपार्जन	वित्त एवं लेखा	उपकरण एवं सेवा उपार्जन	सप्लाई चेन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी	कुल पद	स्रोत	अनुमानित मासिक लागत/ व्यय	कुल वार्षिक व्यय (रु0 में)
							1	प्रतिनियुक्ति	2,00,000	24,00,000
1	प्रबन्ध निदेशक						4	प्रतिनियुक्ति	2,00,000	96,00,000
2	निदेशक		1	1	1	1				
3	कम्पनी सचिव	1					1	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	1,60,000	19,20,000
4	महाप्रबंधक	1	1	1	1	2	6	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	1,40,000	1,00,80,000
5	विधि अधिकारी	1					1	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	1,00,000	12,00,000
6	उप महाप्रबंधक	1	1	2	1	3	8	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	1,00,000	96,00,000
7	प्रबंधक	1	2	2	2	3	10	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	80,000	96,00,000
8	लेखाकार			3			3	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	50,000	18,00,000
9	कैशियर			1			1	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	40,000	4,80,000
10	कार्यालय सहायक						15	प्रतिनियुक्ति/ संविदा	40,000	72,00,000
							5	संविदा	40,000	24,00,000
11	प्रोग्रामर						5	संविदा	2,00,000	1,20,00,000
12	कंसलटेंट (आवश्यकता के अनुसार)						10	संविदा	18,000	21,60,000
13	कम्प्यूटर आपरेटर						10	आउटसोर्स	15,000	18,00,000
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी						12	आउटसोर्स	15,000	21,60,000
15	सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था						92			7,44,00,000
	योग									

(9)

क0	पदनाम	मानव ससांधन एवं प्रशासन	औषधि उपार्जन	वित्त एवं लेखा	उपकरण एवं सेवा उपार्जन	सप्लाई चेन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं सूचना प्रौद्योगिकी	कुल पद	स्रोत	अनुमानित मासिक लागत/ व्यय	कुल वार्षिक व्यय (रु0 में)
	मण्डलीय औषधि भण्डार गृहों हेतु (प्रति भण्डार गृह)									
1	फार्मासिस्ट						1	प्रतिनियुक्ति	50000	6,00,000
2	कम्पयूटर आपरेटर						1	संविदा	18000	2,16,000
3	सहायक (हैण्डलर)						3	संविदा	15000	5,40,000
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी						1	आउटसोर्स	15000	1,80,000
5	सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था						4	आउटसोर्स	15000	7,20,000
	योग									22,56,000
	18 मण्डलीय औषधि भण्डार गृहों हेतु									4,06,08,000
	कुल योग (मुख्यालय एवं 18 मण्डलीय औषधि गृहों हेतु)									11,50,08,000
	आपरेटिंग व्यय (मुख्यालय एवं 18 मण्डलीय औषधि गृहों हेतु)									5,84,87,000
	एक वर्ष हेतु कुल अनुमानित धनराशि									17,34,95,000

ण्णी – 1. यह मानते हुए कि पद संविदा कर्मियों से भरे हैं, प्रति माह अनुमानित व्यय ही प्रत्येक माह का अधिकतम व्यय लिया गया है।
महाप्रबन्धक, भण्डार गृह के अधीन सूचना सहायक, फार्मासिस्ट एवं अनुबन्ध स्टॉफ की तैनाती द्वितीय चरण से किए जाने के कारण इन पर होने वाले व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है।

संलग्नक–4

यू0पी0एम0सी0सी0 का बजट (अनावर्तक)

कमांक	मद	विवरण	अनुमानित लागत (रू0)
	उपकरण		
	मुख्यालय हेतु		
1	प्रिन्टर (10 नग)	10 यूनिट, रू0 28000 प्रति यूनिट की दर से	2,80,000
2	लैपटाप/डेक्सटाप (75 लैपटाप)	75 यूनिट, रू0 75000 प्रति यूनिट की दर से	56,25,000
3.1	ई0पी0ए0बी0एक्स0, डेस्कटाप फोन उपकरण एवं कार्डस्	16 पोर्ट कार्ड (रू0 25000 प्रति यूनिट की दर से 5 यूनिट)	1,25,000
3.2		ई0पी0ए0बी0एक्स0	35,000
3.3		ई0पी0ए0बी0एक्स0 वायरिंग	15,000
3.4		ई0पी0ए0बी0एक्स0 उपकरण + फैक्स मशीन	30,000
3.5		लाईन ट्रान्सफर यंत्र	30,000
3.6		टेलीफोन यंत्र (75 यूनिट, रू0 1500 प्रति यूनिट की दर से)	1,12,500
4	सी0सी0टी0वी0	16 यूनिट, रू0 1000 प्रति यूनिट की दर से	1,60,000
5	ऑडियो विजुअल उपकरण	1 पॉली आडियो, टी0वी0स्क्रीन, केबिलिंग, कंसोल, पॉपअप बाक्सेस	5,50,000
6.1	पैन्ट्री	माइक्रोवेव	10,000
6.2		रेफ्रीजिरेटर	40,000
6.3		वॉटर डिस्पेन्सर	20,000
6.4		आर0ओ0	20,000
7	सर्वर	सहायक उपकरण एवं सेटअप सहित 2 सर्वर	21,00,000
8	अग्निशमन व्यवस्था हेतु उपकरण	10000 वर्गफुट क्षेत्र हेतु अनुमानित	1,00,000
9	यू0पी0एस0 (40 के0वी0ए0)	40 के0वी0ए0 की एक यूनिट	5,00,000
10	प्रोजेक्टर	स्क्रीन एवं वायरिंग सहित एक यूनिट	1,00,000
11	कार्यालय नवीकरण लागत *	ए0सी0, वायरिंग, विद्युत पैनल, पेटिका (कैबिनेट) इत्यादि	30,00,000
12.1	फर्नीचर (कुर्सी, सोफा इत्यादि)	कार्यालय कुर्सी (100 यूनिट, रू0 7000 प्रति यूनिट की दर से)	7,00,000
12.2		एक्सीक्यूटिव कुर्सी(10 यूनिट,रू0 20000 प्रति यूनिट की दर से)	2,00,000
12.3		कार्यालय सोफा (3 यूनिट, रू0 35000 प्रति यूनिट की दर से)	1,05,000
		योग	**1,38,57,500**

क्रमांक	मद	विवरण	अनुमानित लागत (रू0)
	18 मण्डलीय औषधि भण्डार गृहों हेतु		
1	कम्प्यूटर एवं एसेसरीज	कम्पयूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, यूपीएस इत्यादि	18,00,000
2	फर्नीचर (कुर्सी, मेज, आलमारी इत्यादि)		27,00,000
3	सी0सी0टी0वी0		9,00,000
4	कोल्ड स्टोरेज कक्ष		54,00,000
5	मैटेरियल हैण्डलिंग (स्टैकिंग) मशीन एव रैक्स इत्यादि		90,00,000
		योग	1,98,00,000
		कुल योग	3,36,57,500

टिप्पणी – उपर्युक्त व्यय सेमी फर्निश्ड कार्यालय स्थल के आधार पर आगणित किया गया है। पूर्ण फर्निश्ड लिए जाने की स्थिति में लागत रुपये दो करोड़ तक की आ सकती है।